उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 रिवीजन वाद सं0 15/2017–18

प्यारी पूजहर एवं अन्य.....आवेदक

बनाम

बजनी देवी एवं अन्य.....विपक्षी

आदेश

17.12.2021

यह रे0मि0 रिवीजन वाद सं0–15/17–18 प्यारी पूजहर एवं 21 अन्य बनाम बालकृष्ण माँझी प्रधान पे0 स्व0 दुर्गा माँझी सा0–मोहरा अंचल–सरैयाहाट के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के रे0मि0 वाद सं0–362/89–90 में पारित आदेश दिनांक–11.05.92 के विरूद्ध दायर किया गया है। बालकृष्ण माँझी प्रधान की मृत्यु हो चुकी है एवं उनके स्थान पर उनकी पत्नी बेजनी देवी, पुत्र दिलीप यादव तथा अजय यादव को इस वाद में पार्टी बनाया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा के दाग सं0–813, 816, 818, 76 एवं 214 गत गेंजर सर्वे सेटेलमेंट के अनावादी खाता के अन्तर्गत दर्ज है। मौजा के गत प्रधान दुर्गा मॉझी थे, जो विपक्षी (स्व0 बालकृष्ण मांझी वर्तमान प्रधान) के पिता थे। विपक्षी स्व0 बालकृष्ण मांझी ने गत प्रधान दुर्गा मांझी से मौजा का दाग सं0–813 रकवा 49 डीसिमल 816 रकवा एवं 818 रकवा 01(एक) एकड, दाग सं0–76 रकवा 35 डी0 एवं दाग सं0–214 में रकवा 18 डी0 कुल–रकवा 2 एकड़ 02 डीसिमल जमीन में दिनांक–09.05.1959 एवं 15.08.1960 को प्राप्त बंदोबस्ती पट्टा को निम्न न्यायालय के रे0मि0 वाद 362/89–90 में पारित आदेश दिनांक–11.05.1992 द्वारा सम्पुष्ट करवा लिया है इस बन्दोबस्ती पट्टा के सम्पुष्टि के पूर्व मौजा के 16 आना रैयतों को नोटिस निर्गत नहीं किया गया है। इसमें निम्न न्यायालय द्वारा संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा 29 के विरूद्ध आदेश किया गया है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए रिवीजन को स्वीकृत किया जाय।

निम्न न्यायालय के अभिलेख में पारित आदेश एवं अंचल अधिकारी, सरैयाहाट द्वारा समर्पित प्रतिवेदन का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, सरैयाहाट द्वारा अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत जमीन उन्हें (स्व0 बालकृष्ण मांझी) को भूत पूर्व प्रधान स्व0 दुर्गा मांझी द्वारा पट्टा निर्गत किया गया है। उनके द्वारा हर साल लगान दे रहे है तथा उनके पास रसीद भी उपलब्ध है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के साथ समर्पित जमीन का ट्रेश नक्शा में दाग सं0–816 में रकवा 0–50 डी0, 818 में रकवा 34 डी0, 813 में रकवा (20+40)=60 डी0 जमीन की प्रधानी बंदोबस्ती पट्टा की सम्पुष्टि का अनुशंसा किया गया है। इसी आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा स्व0 बाल कृष्ण मांझी के साथ की गई पट्टा बन्दोबस्ती को सम्पुष्टि की गई है।

अभिलेख तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध कागजात एवं अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि

(1) प्रश्नगत जमीन गेंजर सर्वे में अनाबादी खाता में परती कदीम है। विपक्षी अर्थात स्व0 बालकृष्ण मांझी को भूत पूर्व प्रधान दुर्गा मांझी से वर्ष 1960 में उक्त जमीन की पट्टा बन्दोबस्ती मिली है। भूत पूर्व प्रधान दुर्गा मांझी विपक्षी स्व0 बालकृष्ण मांझी के पिता थे। प्रधान द्वारा अपने पुत्र को परती जमीन की पट्टा बन्दोबस्ती उपायुक्त के अनुमति के बिना दिया गया है जो संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–29 के प्रतिकुल है, जो निम्न प्रकार उल्लेख है :–

A mulraiyat pradhan or village headman not to settle waste land or vacant holding with himself or co-mulraiyat without the Senction of the Deputy Commissioner

(2) अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि बन्दोबस्तीधारी के पास पूर्व से अपनी निजी कितनी जमीन है तथा बन्दोबस्ती दी गई जमीन बन्दोबस्तीधारी के जमीन के बगल में है अथवा नही, इन बिन्दुओं पर जाँच किए बिना ही उक्त बन्दोबस्ती पट्टा की सम्पुष्टि निम्न न्यायालय द्वारा

किया गया है जो संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–28 का अनुकूल नहीं है। संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–28 में निम्न प्रकार उल्लेख है।

Principles to be followed in setting waste land or vacant holdings- In making settlement of waste land or vacant holdings regard shall be had to the following considerations in addition to the principles recorded in the record-of-rights :-

(a) Fair and equitable distribution of land according to the requirements of each raiyat and his capacity to reclaim and cultivate ;

(b) any special claim for services rendered to the village community. Society or state :

(c) Contiguity or proximity of the waste land to jamabandi land of the raiyat ;

(d) Provision for landless labourers who are bona fide permanent resident of the village and are recorded for a dwelling house in the village.

(3) निम्न न्यायालय द्वारा बन्दोबस्ती पट्टा की सम्पुष्टि के पूर्व मौजा के 16 आना रैयतों को नोटिस निर्गत नहीं किया गया है जो संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के अनुरूप नहीं है।

(4) निम्न न्यायालय के अभिलेख में पारित आदेश दिनांक–07.03.90 में उल्लेख है कि बन्दोबस्ती पट्टा वर्ष 1960 में निर्गत किया गया है तथा इसकी सम्पुष्टि हेतु 29 वर्षो वाद आवेदन किया गया है। इसके पूर्व बन्दोबस्ती पट्टाधारी द्वारा इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है, जो संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के अनुकूल नहीं है। उनके द्वारा पट्टा के वास्तविकता पर जॉचकर प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, से मांग की गई थी इस पर अंचल अधिकारी, सरैयाहाट द्वारा पत्रांक–858 रा0 दिनांक–24 अक्टूबर 1990 द्वारा विस्तृत जाँच किये बिना ही

प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। जिसमें उल्लेख है कि भूतपूर्व प्रधान स्व0 दुर्गा मांझी द्वारा पट्टा निर्गत किया गया है। विपक्षी अर्थात बन्दोबस्तीधारी द्वारा हर साल लगान दे रहे है तथा उसके पास रसीद भी उपलब्ध है , जबकि निम्न न्यायालय के अभिलेख मे बन्दोबस्ती पट्टा वर्ष 1960 एवं लगान रसीद की मात्र एक प्रति की छायाप्रति उपलब्ध है।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश संताल परगना कास्तकारी अधिनियम के नियमानुकुल एवं न्यायसंगत नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। अंचल अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत जमीन को दखल में ले लें।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.07 14:12:52 +05:30
Location: 169.254.227.244